

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राज.)

फोन नं: 0141-2228066, 2228064 फैक्स नं 0141-2228065 वेबसाईट : www.rmschealth.rajasthan.gov.in
सीआईएन. :U24232RJ2011ISGC035067 ई-मेल :: edprocurement@gmail.com एवं rmisc@nic.in

क्रमांक : F..02(120)/RMSCL/Proc./S&S(MD)/NIB-06/2022/ 8003

Dated:- 5/06/2023

कार्यालय आदेश

सर्जिकल (ड्रग आइटम्स) आपूर्ति एवं दर संविदा के लिये जारी की गई निविदा सूचना क्रमांक .: F..02(120)/RMSCL/Proc./S&S(MD)/NIB-06/2022/426 Dated:27.05.2022 के अन्तर्गत फर्म मैसर्स SPM Medicare Pvt. Ltd, B-40, Phase-II, Noida, Dist-GB Nagar, UP- 201305 द्वारा अन्य आइटमों के साथ-साथ आईटम कोड S-11 (Sterile Disposable Perfusion Set with Airway and Needle (Adult Use) के लिये भी बिड प्रस्तुत की गई थी। जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 26.07.2022 एवं वित्तीय बिड दिनांक 07.10.2022 को खोली गयी। उक्त आइटम के लिये L1 फर्म मैसर्स SPM Medicare Pvt. Ltd ने दर रु 5.88 + 12% GST = 6.59 कोट की गई।

उक्त आइटम की दरों के अनुमोदन हेतु प्रकरण क्रय समिति की बैठक दिनांक 14.10.2022 में रखा गया था। जिसमें एल-1 फर्म की दर को अनुमोदित किया गया, जिसके उपरांत दिनांक 22.11.2022 को रेट मैच नोटिस जारी किया गया। तत्पश्चात फर्म को एलओए क्रमांक 940 दिनांक 05.12.2022 को जारी किया गया।

फर्म ने अपने पत्र क्रमांक 036 दिनांक 28.12.2022 द्वारा विगत दो वर्षों में उक्त आइटम हेतु Raw Material Price बढ़ जाने के कारण आईटम कोड S-11 के लिये जारी एलओए को स्वीकार नहीं करते हुये अनुबन्ध प्रस्तुत करने के लिए असमर्थता जताई। इस प्रकार फर्म द्वारा निर्धारित समय अवधि में अनुबंध एवं कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि प्रस्तुत नहीं की है। प्रकरण निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 29.03.2023 में रखा गया। फर्म को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुये अनुशासनात्मक समिति के समक्ष उपस्थित होने हेतु लिखा गया। फर्म के प्रतिनिधि ने अनुशासनात्मक समिति के समक्ष कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया।

अतः अनुशासनात्मक समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में फर्म को बिड शर्तों के उल्लंघन के लिये दोषी मानते हुये निविदा की शर्त 19 (1) के अन्तर्गत:- "If the successful Bidder fails to execute the agreement and/or to deposit the required performance security within the time specified or withdraws his Bid after the intimation of the acceptance of his Bid has been sent to him or owing to any other reasons, he is unable to undertake the contract, his contract will be cancelled and the Bid security deposited by him along with his Bid, shall stand forfeited by the Bid Inviting Authority and he will also be liable for all damages sustained by the Bid Inviting Authority apart from **debaring** the supplier". (As per guidelines for blacklisting/ debaring at annexure IX) एवं annexure IX- debaring Policy के बिन्दु संख्या

2.1 में उल्लेखित प्रावधान "The successful Bidder fails to execute the agreement after being declared as L-1, L-2 or L-3 etc. to perform the obligations under the Bid conditions, Bid Security Deposit of such Bidder firm shall be forfeited. If an LoA for more than one products is issued to a successful bidder and he/she/it fails to execute agreement for few items, in such case, a penalty of Rs. 2.00 lac and in case of MSME of the State of Rajasthan Rs. 50,000 shall be imposed on successful bidder and the product for which agreement is not executed shall be debarred for a period of not less than 3 years" फर्म SPM Medicare Pvt. Ltd को आइटम कोड S-11 (Sterile Disposable Perfusion Set with Airway and Needle (Adult Use) के लिये आरएमएससी की निविदाओं में भाग (participate) लेने से यह आदेश जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये ब्लैकलिस्ट/डिबार करने तथा राशि रु SPM Medicare Pvt. Ltd पर राशि 2,36,000 /-.(GST@18% सहित) (अक्षरे राशि रु दो लाख छत्तीस हजार मात्र) की पैनल्टी आरोपित किए जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

साथ ही उक्त आइटम के लिये पूर्व निविदा संख्या F..02(76)/RMSCL/Proc./S&S(MD)/NIB-08/2022/285 Dated:03.-09-2020 में अनुमोदित दर (दर संविदा दिनांक 30.09.2022 तक) उक्त निविदा में प्राप्त दर से अधिक होने एवं मै0 SPM Medicare Pvt. Ltd द्वारा एलओए को स्वीकार नहीं करते हुये अनुबन्ध प्रस्तुत करने में असमर्थता जताने पर पूर्व निविदा F.02(76)/RMSCL/Proc./S&S(MD)/NIB-08/2022/285 Dated:03.-09-2020 की दर संविदा अवधि दिनांक 31.12.2022 तक बढ़ाये जाने पर उक्त अवधि में अधिक दरो पर उक्त आइटम क्रय करने की स्थिति में अन्तर राशि की वसूली उक्त फर्म से करने के सम्बन्ध में प्रकरण में निर्णय लिया जाकर तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।


प्रबन्ध निदेशक
आरएमएससीएल
Dated:-

क्रमांक : F..02(120)/RMSCL/Proc./S&S(MD)/NIB-06/2022/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच/एच.ए/ए.आई.डी.एस/एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल।
7. कार्यकारी निदेशक (क्यू. सी.), आरएमएससीएल।

8. OIC, Supply, आरएमएससीएल।
9. कार्यकारी निदेशक, (वित्त), आरएमएससीएल को भेज कर लेख है कि मैसर्स SPM Medicare Pvt. Ltd द्वारा जमा कराई गई बिड सिक््योरिटी राशि रू 200000 (D.D No. 010217 dated 18.06.2022, HDFC BANK) जो कि इस अनुभाग की अनौ टीप क्रमांक 607 दिनांक 08.08.2022के द्वारा वित्त अनुभाग को भिजवाया गया है, जिसमें से राशि रू 2 लाख (अक्षरे राशि रू दो लाख मात्र) जब्त करें तथा फर्म के अन्य भुगतान से शेष राशि रू. 36000 होल्ड करें।
10. संयुक्त निदेशक, आई.टी., आरएमएससीएल को भेजकर लेख है कि इस आदेश को आरएमएससीएल की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
11. सम्बन्धित निविदादाता मैसर्स SPM Medicare Pvt. Ltd, B-40, Phase-II, Noida, Dist-GB Nagar, UP- 201305 को भेजकर लेख है कि आरोपित की गयी पैनल्टी में से शेष राशि रू. 36000 निगम में दिनांक 15.06.2023 तक (चालान/डीडी/RTGS) द्वारा जमा कराकर कार्यालय को अविलंब सूचित करें।
12. रक्षित पत्रावली

कार्यकारी निदेशक (पी)
आरएमएससीएल